GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2010/H/6-1/Policy (Liver Transplant). **New Delhi, Dated:-25.05.2015.**

General Managers,
All Indian Railways,
(Including PUs).

Sub:- Guidelines and ceiling limit for Liver Transplant Surgery in respect of beneficiaries of Railway Medical Attendant Rules/RELHS.

Ref:- i) This Office letter of even No. dated 28.06.2014.
ii) Board's letter No. 2011/H/6-4/Policy-I dated 24.09.2013.

****

In order to bring clarity to the Zones while processing the sanction in Liver Transplantation Surgery cases in terms of RB's letter dated 28.06.2013 and in terms of delegation of powers issued vide RB's letter dated 24.09.2013, the existing Para 7 & Para 8 of Board's letter dated 28.06.2013 have been consolidated and stands substituted as under:-

"7. CMD of the Zone shall nominate Medical Board comprising of CMS/MD as Chairman and two specialists each from Speciality of Gastroenterology/Internal Medicine and GI Surgery/General Surgery as Members, which will recommend for Liver Transplant. The proposal for financial sanction would be considered with concurrence of Finance of the Zone and approval of GM. If the patient is to be referred to Government/Autonomous Body Hospital, GMs will have full powers to sanction medical advance (as delegated under Board's letter No. 2011/H/6-4/Policy-I, dated 24.09.2013) subject to the ceiling limit/package rate for Liver Transplant Surgery as mentioned in Para 5 of Board's letter dated 28.06.2013 or Hospital tariff, whichever is lower. In case, the patient is undergoing Liver Transplantation Surgery in the recognized private hospital, the settlement has to be done as per bill system of payment within the ceiling/package prescribed in Board's letter dated 28.06.2013. However, if the patient is proposed to be referred to a non-recognized private hospital for Liver Transplantation Surgery, the proposal with due justification would require approval of Railway Board in terms of RB's letter dated 24.09.2013, which will be processed subject to the ceiling limit/package rate as stipulated under Para-5 of Board's letter dated 28.06.2013".

Other provisions of Board's letter dated 28.06.2013 will remain unchanged.

This issues with the approval of Finance Directorate in the Ministry of Railways.

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health,
Railway Board.

No. 2010/H/6-1/Policy (Liver Transplant). **New Delhi, Dated:-25 .05.2015.**

Copy forwarded to:-

I. The Chief Medical Director, All Indian Railways (Including PUs).
II. FA&CAO, All Indian Railways (Including PUs).

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health,
Railway Board.

No. 2010/H/6-1/Policy (Liver Transplant). **New Delhi, Dated:-25.05.2015.**

Copy forwarded to:-

I. The Principal Director of Audit, All Indian Railways (Including PUs).
II. Dy. Comptroller and Auditor General Of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Financial Commissioner/Railway Board.

Copy to: F(E) Spl. Branch/Rly.Board.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं.2010/एच/6-1/पॉलिसी (लीवर ट्रांसप्लांट) नई दिल्ली,दिनांक 25.05.2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
(उत्पादन इकाइयों सहित).

विषय : रेलवे मेडिकल अटेंडेंट नियम/आरईएलएचएस के लाभार्थियों के मामले में लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए मार्गनिर्देश तथा अधिकतम सीमा.

संदर्भ :i) इस कार्यालय का दिनांक 28.06.2014 का समसंख्यक पत्र.
ii) बोर्ड का दिनांक 24.09.2013 का पत्र सं.2011/एच/6-4/पॉलिसी-I.

रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र के अनुसार लीवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के मामलों में स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही करने तथा रेलवे बोर्ड के दिनांक 24.09.2013 के पत्र के माध्यम से जारी शक्तियों के प्रत्यायोजन को देखते हुए क्षेत्रीय रेलों को स्थिति स्पष्ट करने के लिए बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र के विद्यमान पैरा 7 और पैरा 8 को समेकित किया गया है और उनके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:

"7. क्षेत्रीय रेलवे के सीएमडी मेडिकल बोर्ड को नामित करेंगे, जिसमें सीएमएस/एमडी को अध्यक्ष के रूप में और स्पेशिएलिटी ऑफ गैस्ट्रोएंटोलॉजी/इंटरनल मेडिसीन और जी आई सर्जरी/जनरल सर्जरी से एक-एक दो स्पेशलिस्टों को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, जो लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सिफारिश करेंगे. वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर क्षेत्रीय रेलवे के वित्त की सहमति से तथा महाप्रबंधक का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा. यदि मरीज को सरकारी/स्वायत्त निकाय के अस्पताल में भेजना अपेक्षित हो तो महाप्रबंधक को बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र के पैरा 5 में यथा उल्लिखित लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा/पैकेज दर अथवा अस्पताल का टैरिफ, जो भी कम हो, मेडीकल एडवांस स्वीकृत करने की पूरी शक्तियाँ प्राप्त होंगी (जैसाकि बोर्ड के दिनांक 24.09.2013 के पत्र सं. 2011/एच/6-4/पॉलिसी-I के तहत प्रत्यायोजित किया गया हैं). यदि मरीज मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा हो तो सैटेलमेंट, बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र में निर्धारित अधिकतम सीमा/पैकेज के अधीन भुगतान की बिल प्रणाली के अनुसार किया जाना होगा. बहरहाल, यदि मरीज को लीवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के लिए गैर-मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पताल में भेजने का प्रस्ताव हो तो रेलवे बोर्ड के दिनांक 24.09.2013 के पत्र के अनुसार समुचित औचित्य के साथ ऐसे प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा. ऐसे प्रस्ताव पर बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र के पैरा 5 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा /पैकेज दर के अध्यधीन कार्यवाही की जाएगी."

बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र में उल्लिखित अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

(आर.एस.शुक्ला)
उप निदेशक/स्वास्थ्य,
रेलवे बोर्ड

सं.2010/एच/6-1/पॉलिसी (लीवर ट्रांसप्लांट) नई दिल्ली,दिनांक 25.05.2015

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों सहित).
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें(उत्पादन इकाइयों सहित).

(आर.एस.शुक्ला)
उप निदेशक/स्वास्थ्य,
रेलवे बोर्ड

सं.2010/एच/6-1/पॉलिसी (लीवर ट्रांसप्लांट) नई दिल्ली,दिनांक 25.05.2015

1. प्रधन निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों सहित).
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली.

वित्त आयुक्त/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि : एफ (ई) विशेष शाखा/रेलवे बोर्ड.